

[2024] 10 एस.सी.आर. 393 : 2024 आई.एन.एस.सी. 739

वी. सैथिल बालाजी

बनाम

उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

(2024 की आपराधिक अपील संख्या 4011)

26 सितंबर, 2024

[अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायमूर्तिगण]*

विचारणीय मुद्दा

मामला पूर्व तमिलनाडु परिवहन मंत्री को जमानत दिए जाने से संबंधित है, जिनके खिलाफ नौकरी रैकेट घोटाले में कथित संलिप्तता के लिए पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज की गई थी, जो पी.एम.एल.ए.की धारा 4 के तहत दंडनीय है।

हेडनोट

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 – धाराएँ 3, 4, 45(1)(ii) – धन शोधन का अपराध – अपीलकर्ता-पूर्व तमिलनाडु परिवहन मंत्री की नौकरी रैकेट घोटाले में कथित संलिप्तता – प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी – कथित अपराध धारा 3 के संबंध में जमानत याचिका, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है – उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज – इसे चुनौती:

अभिनिर्धारित : अपीलकर्ता धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में 15 महीने से अधिक समय से जेल में है – तीनों अनुसूचित अपराधों में 2000 से अधिक अभियुक्त हैं, और जिन गवाहों की जाँच प्रस्तावित है उनकी संख्या 600 से अधिक है – अनुसूचित अपराधों का, और परिणामस्वरूप पी.एम.एल.ए. अपराध का, विचारण तीन से चार वर्षों या

उससे भी अधिक समय में पूरा होने की संभावना नहीं है - यदि अपीलकर्ता की हिरासत जारी रखी जाती है, तो यह शीघ्र विचारण के उसके मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा - जमानत दिए जाने से संबंधित कठोर प्रावधान, जैसे कि धारा 45(1)(iii), एक ऐसा उपकरण नहीं बन सकते जिसका उपयोग अभियुक्त को अनावश्यक लंबी अवधि तक बिना विचारण के जेल में रखने के लिए किया जा सके - इस स्तर पर, यह मानना बहुत कठिन होगा कि धारा 44(1)(ख) के तहत शिकायत और उसमें दिए गए साक्ष्य में अपीलकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है - इसके अलावा, जब पी.एम.एल.ए. के तहत शिकायत का विचारण उचित सीमा से अधिक लंबा खिंचने की संभावना हो, तो संवैधानिक न्यायालयों को जमानत देने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर विचार करना होगा - धारा 45(1)(ii) राज्य को किसी अभियुक्त को अकारण लंबी अवधि के लिए हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान नहीं करती, खासकर जब उचित समय के भीतर विचारण समाप्त होने की कोई संभावना नहीं हो - उचित समय उन प्रावधानों पर निर्भर करेगा जिनके तहत अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा रहा है और अन्य कारकों पर भी - यदि संवैधानिक न्यायालय ऐसे मामलों में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करते हैं, तो अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीन कैदियों के अधिकार विफल हो जाएंगे - किसी दिए गए मामले में, यदि विचारण के निपटान में अनावश्यक देरी पर्याप्त रूप से अभियुक्त के कारण हुई हो, तो संवैधानिक न्यायालय हमेशा विशेषाधिकार रिट जारी करने के लिए क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से मना कर सकते हैं - अपीलकर्ता द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किए जाने की आशंका को देखते हुए, कठोर शर्तें लगाई गई - अपीलकर्ता को प्रधान सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित मामले के अंतिम निपटान तक जमानत पर रिहा किया जाए, इस शर्त पर कि वह ₹25,00,000/- की राशि के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करेगा; पासपोर्ट सरेंडर करेगा; प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होगा, और अभियोजन के गवाहों और पीड़ितों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क या संवाद करने का प्रयास नहीं

करेगा – भारत का संविधान। [कंडिका 21, 25, 27, 29-31]

आपराधिक विचारण – शीघ्र निपटान – पी.एम.एल.ए., गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 जैसे कानूनों के तहत अपराधः

अभिनिर्धारित : इन कानूनों में अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, इन कानूनों के तहत अपराधों के विचारण का शीघ्र निपटान अपेक्षित है – जमानत दिए जाने के लिए निर्धारित उच्च सीमा को देखते हुए विचारण का शीघ्र निपटान भी आवश्यक है – इसलिए, इन कानूनों में मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता को पढ़ा जाना चाहिए – विचारण के समापन में अत्यधिक देरी और जमानत दिए जाने के लिए उच्च सीमा एक साथ नहीं चल सकते हैं – जमानत नियम है, और जेल अपवाद है – जमानत दिए जाने से संबंधित ये कठोर प्रावधान, जैसे पी.एम.एल.ए. की धारा 45(1)(iii), एक ऐसा उपकरण नहीं बन सकते जिसका उपयोग अभियुक्त को अकारण लंबी अवधि तक बिना विचारण के जेल में रखने के लिए किया जा सके। [कंडिका 24, 25]

नज़ीर संदर्भ

मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी.1920; भारत संघ बनाम के.ए. नजीब [2021] 1 एस.सी.आर. 443 : (2021) 3 एस.सी.सी. 713; पी. धर्मराज बनाम शंमुगम और अन्य [2022] 9 एस.सी.आर. 972 : (2022) 15 एस.सी.सी.136; वाई. बालाजी बनाम कार्तिक देसारी और अन्य [2023] 8 एस.सी.आर. 1026 : (2023) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 645 – संदर्भित ।

अधिनियमों की सूची

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967; स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; भारत का संविधान।

मुख्य शब्दों की सूची

जमानत; पूर्व तमिलनाडु परिवहन मंत्री को जमानत देना; नौकरी रैकेट घोटाला; धन शोधन का अपराध; प्रवर्तन निदेशालय; जमानत; 15 महीने से अधिक समय से जेल में; अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन; शीघ्र विचारण; संवैधानिक न्यायालय; विचाराधीन कैदी; जमानत पर रिहा; कठोर शर्तें लगाना; आपराधिक विचारण; विचारण का शीघ्र निपटान; अत्यधिक देरी; न्याय वितरण प्रणाली; आपराधिक न्यायालयों द्वारा पूर्ण दोषमुक्ति; मुआवजा दावा।

प्रकरण से उत्पन्न

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2024 की आपराधिक अपील संख्या 4011

मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 28.02.2024 के निर्णय और आदेश से, जो सी.आर.एल.ओ.पी. संख्या 1525/2024 में पारित किया गया था।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा, एस. प्रभाकरन, एन. आर. एलंगो, आदित्य सोंधी, वरिष्ठ अधिवक्तागण, एमए गौथमैन, एन. भारनीकुमार, श्रीमती उषा प्रभाकरन, महेश्वरन प्रभाकरन, नवीन एम, सुश्री मिशा रोहतगी, थंगदुरई, अगलेश कुमार एस, कार्तिकेय डांग, शशिर सेठ, सुश्री ऐश्वर्या एस एम, सुश्री मेघना एस एम, जी जय सिंह, मुथु गनेसा पांडियन, श्रीमती हरिणी रामसंकर, डॉ. राम शंकर (मेसर्स राम शंकर एंड कंपनी के लिए), अपीलकर्ता के लिए अधिवक्तागण।

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, कानू अग्रवाल, ज़ोहेब हुसैन, अरकाज कुमार, मेरुसागर सामंतराय, सुश्री संसृति पाठक, बालाजी श्रीनिवास, अरविंद कुमार शर्मा, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

एस गुरु कृष्णकुमार, गोपाल शंकरनारायणन, वरिष्ठ अधिवक्तागण, प्रणव सचदेवा, जतिन भारद्वाज, अभय नायर, अश्विन कुमार, सुश्री नेहा राठी, बालाजी श्रीनिवासन, विश्वदित्य शर्मा,

हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

अभय एस. ओका, न्यायमूर्ति

तथ्यात्मक पहलू

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28 फरवरी 2024 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। जमानत याचिका धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में, 'पी.एम.एल.ए.') की धारा 3 के तहत कथित अपराध के संबंध में दायर की गई थी, जो पी.एम.एल.ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय है।
3. 2011 और 2016 के बीच, अपीलकर्ता तमिलनाडु सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर था। मोटे तौर पर, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, उसने अपने निजी सहायक और अपने भाई के साथ मिलीभगत करके, परिवहन विभाग में विभिन्न पदों पर कई व्यक्तियों को नौकरी के अवसर देने का वादा करके बड़ी मात्रा में धन एकत्र किया। इसके कारण अपीलकर्ता और अन्य के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट हैं: दिनांक 29 अक्टूबर 2015 की प्राथमिकी संख्या 441/2015 (सीसी संख्या 22 और 24/2021), दिनांक 9 सितंबर 2017 की प्राथमिकी संख्या 298/2017 (सीसी संख्या 19/2020) और दिनांक 13 अगस्त 2018 की प्राथमिकी संख्या 344 (सीसी संख्या 25/2020)। पहली एफआईआर में छह आरोप पत्र दाखिल किए

गए हैं। 2000 से अधिक अभियुक्तों को नामित किया गया है। 550 गवाहों को नामित किया गया है। दूसरी प्राथमिकी के मामले में, आरोप पत्र में 14 अभियुक्तों को नामित किया गया है। इस प्राथमिकी के संबंध में 24 गवाहों का हवाला दिया गया है। तीसरी प्राथमिकी में, आरोप पत्र में 24 अभियुक्तों को नामित किया गया है और 50 अभियोजन गवाहों का हवाला दिया गया है। उपरोक्त अपराधों में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 419, 420, 467 और 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7, 12, 13(2) के तहत अपराध शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू की गई है। ये अपराध पी.एम.एल.ए. की धारा 2(म) के अर्थ में अनुसूचित अपराध हैं। इसलिए, उपरोक्त अनुसूचित अपराधों में दायर अंतिम रिपोर्टों पर भरोसा करते हुए, पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत धन शोधन के अपराध के लिए, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है, प्रवर्तन निदेशालय ने दिनांक 29 जुलाई 2021 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में "इ.सी.आई.आर.") संख्या एम.डी.एस.जेड.ओ./21/2021 दर्ज की।

4. अपीलकर्ता को उक्त इ.सी.आई.आर. के संबंध में 14 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया था और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। पी.एम.एल.ए. अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध के लिए, जो धारा 4 के तहत दंडनीय है, 12 अगस्त 2023 को एक शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में अपीलकर्ता एकमात्र नामित अभियुक्त है। पी.एम.एल.ए. के तहत विशेष न्यायालय द्वारा शिकायत के आधार पर संज्ञान लिया गया है। अनुसूचित अपराधों के मामलों को तमिलनाडु के सांसद और विधायक के आपराधिक मामलों के विचारण के लिए अतिरिक्त विशेष न्यायालय, चेन्नई के विद्वान सहायक सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया गया है।

प्रस्तुतियाँ

5. अपील के समर्थन में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह बताया कि इस मामले में,

प्रवर्तन निदेशालय अनुसूचित अपराधों की जाँच करने वाली जाँच एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर निर्भर कर रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि 6 फरवरी 2020 को अपीलकर्ता के परिसर में तलाशी के दौरान कथित तौर पर पाँच वस्तुएँ जब्त की गई थीं। उन्होंने हमारा ध्यान शिकायत में किए गए कथनों की ओर आकर्षित किया, विशेष रूप से कंडिका संख्या 14.5 की ओर, जो ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर ट्रेड्समैन, जूनियर इंजीनियर, सहायक इंजीनियर आदि के पदों पर नौकरी देने के लिए एकत्र किए गए धन से संबंधित आपराधिक दस्तावेजों से संबंधित है। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष मुख्य रूप से सी.एस. ए.सी. नामक एक फाइल पर निर्भर करता है, जो कथित तौर पर जब्त की गई पेन ड्राइव में मिली थी। कथित तौर पर यह फाइल प्रत्येक पद के एवज में प्राप्त राशियों का विवरण देती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तमिलनाडु फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा जब्त की गई पेन ड्राइव के विश्लेषण से पता चलता है कि उक्त फाइल सी.एस. ए.सी. पेन ड्राइव पर नहीं मिली, और सी.एस.ए.सी. एक्स.एल.एस.एक्स. नामक एक फाइल मिली थी। जहां तक अपीलकर्ता के बैंक खाते में ₹1.34 करोड़ की नकद राशि जमा करने के अभियोजन के आरोप का संबंध है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त राशि विधायक के रूप में पारिश्रमिक और कृषि आय के माध्यम से प्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि किसी भी स्थिति में, सभी दस्तावेज और सभी प्रासंगिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मूल अपराधों में जब्त कर लिए गए हैं और पी.एम.एल.ए. की धारा 50 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता 14 महीने से अधिक समय से पी.एम.एल.ए. अधिनियम के तहत जेल में है। उन्होंने बताया कि जहाँ तक तीन मूल अपराधों का संबंध है, अभी तक आरोप भी तय नहीं किए गए हैं। मूल अपराधों में 2000 से अधिक अभियुक्त और 600 अभियोजन गवाह हैं और इसलिए, निकट भविष्य में अनुसूचित अपराधों के विचारण के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब तक अनुसूचित अपराधों से संबंधित विचारण समाप्त नहीं हो जाते, तब तक पी.एम.एल.ए. के तहत शिकायत पर

अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि पी.एम.एल.ए. अपराध के लिए विचारण के पाँच से छह वर्षों के भीतर समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है और इसलिए, अपीलकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **मनीष सिसोदिया**¹ के मामले में इस न्यायालय के हालिया निर्णय पर और विशेष रूप से कंडिका 54 में जो अवलोकन किया गया है, उस पर विस्तार से भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तथ्यों के आधार पर, यह मामला **मनीष सिसोदिया**² के मामले के समान है। उन्होंने **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब**³ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया।

6. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अलग-अलग विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं। पहला तर्क यह है कि पेन ड्राइव में फ़ाइल नाम सी.एस.ए.सी. के विवरण और दिनांक 31 मार्च 2023 की टी.एन.एफ.एस.एल. रिपोर्ट में उसी फ़ाइल के नाम के बीच कोई विसंगति नहीं है, जो परिवहन विभाग में विभिन्न पदों पर रोजगार प्रदान करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा ₹67.74 करोड़ की राशि एकत्र किए जाने को दर्शाती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि टी.एन.एफ.एस.एल. रिपोर्ट का अवलोकन किया जाता है, तो क्रम संख्या 24 पर दस्तावेज़ का नाम भी सी.एस.ए.सी. ही है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि “एक्स.एल.एस.एक्स.” केवल एक फ़ाइल एक्सटेंशन है, जो यह दर्शाता है कि यह एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब्त की गई पेन ड्राइव में पाई गई सी.एस.ए.सी. नामक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट फ़ाइल का प्रिंटआउट विशेष एम.पी.एम.एल.ए. न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिस पर शिकायत में भरोसा किया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस स्तर पर, विशेष एम.पी.एम.एल.ए. न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए सी.एस.ए.सी. फ़ाइल के प्रिंटआउट की सटीकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इ.डी. के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि एच.पी. हार्ड डिस्क की ज़बती

1 (2024) एससीसी ऑनलाइन एससी 1920

2 [2021] 1 एससीआर 443 : (2021) 3 एससीसी 713

में भी कोई विसंगति नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विधायकों को देय वेतन/पारिश्रमिक सीधे संबंधित विधायकों के बैंक खाते में जमा किया जाता है। इसलिए, उक्त मद में नकद राशि प्राप्त होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने बताया कि अपीलकर्ता अपने खाते में ₹68 लाख के वेतन के बराबर नकद जमा होने का दावा करता है। उन्होंने यह भी बताया कि 2014 और 2020 के बीच अपीलकर्ता की कृषि आय लगभग ₹20.24 लाख है, और इसलिए, इस औचित्य को खारिज किया जाना चाहिए कि ₹1.34 करोड़ के जमा का एक पर्याप्त हिस्सा उसकी कृषि आय है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अपीलकर्ता की पत्नी के खाते में भी ₹20.24 लाख का अस्पष्टीकृत नकद जमा है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने एसी.1.एक्स.एल.एस.एक्स. फ़ाइल सहित अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की ओर भी इशारा किया जो नौकरी रैकेट घोटाले में अपीलकर्ता की संलिप्तता को दर्शाते हैं। उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है जिससे पता चलता है कि ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर असिस्टेंट और तकनीशियन के पदों को क्रमशः ₹1.5 लाख, ₹2.0 लाख, ₹1.25 लाख और ₹4 लाख पर कीमत तय करके बेचा गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर सामग्री मौजूद है जो दर्शाती है कि कम से कम ₹38 करोड़ की राशि नौकरी देने का वादा करके उम्मीदवारों से एकत्र की गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि बड़ी संख्या में ईमेल संचार हैं जो अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में प्रथम दृष्टया से अधिक सामग्री को इंगित करते हैं। उनका तर्क है कि इस मामले में पी.एम.एल.ए. की धारा 45 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के तहत दोहरी शर्तें वास्तव में पूरी नहीं हुई हैं।

8. भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न तीन दौर के मुकदमे इस न्यायालय तक आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस न्यायालय के निर्णयों से पता चलता है कि कैसे शिकायतकर्ताओं को बहकाया गया और कैसे शिकायतकर्ताओं तथा अभियुक्तों के बीच तथाकथित समझौता कराया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता

लंबे समय तक तमिलनाडु सरकार में मंत्री रहा है। उन्होंने बताया कि वह अपनी हिरासत के पहले कुछ महीनों के दौरान भी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बना रहा, और वह विधान सभा सदस्य बना हुआ है।

9. उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ संकेत देती हैं कि यदि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को प्रभावित करने में सक्षम होगा। विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने [पी. धर्मराज बनाम शंमुगम और अन्य](#)³ के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उस मामले में कथित तौर पर रिश्ता देने वालों और रिश्ता लेने वालों के बीच समझौता के आधार पर अनुसूचित अपराधों में से एक को रद्द करने के उच्च न्यायालय के निर्णय की जाँच की जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में ऐसे समझौतों की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने उक्त निर्णय के विभिन्न कंडिकाओं पर भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क कि कथित तौर पर शामिल श्री शंमुगम उनके निजी सहायक नहीं थे, स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है। इस न्यायालय ने पाया कि वह अपीलकर्ता के निजी सहायक के रूप में कार्यरत थे।
10. विद्वान एस.जी ने [वाई. बालाजी बनाम कार्तिक देसारी और अन्य](#)⁴ के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उन्होंने उक्त निर्णय की कंडिका 17 से आगे की गई टिप्पणियों की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि इस न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध दर्ज न करने पर सख्त आपत्ति जताई थी। उन्होंने अनुसूचित अपराध में किए गए समझौते के संबंध में इस न्यायालय की टिप्पणियों की ओर इशारा किया। यह देखा गया कि रिकॉर्ड के लिए सिर्फ दो टीमें बनाई गईं, और जाँच ऐसे की गई जैसे कि यह शिकायतकर्ताओं और अभियुक्तों के बीच एक दोस्ताना मैच हो। इस

3 [2022] 9 एससीआर 972 : (2022) 15 एससीसी 136

4 [2023] 8 एससीआर 1026 : (2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 645

न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि यह केवल अपीलकर्ता की मंत्री के रूप में स्थिति के कारण ही था कि शिकायतकर्ताओं ने कथित तौर पर समझौता किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पी.एम.एल.ए. की धारा 4 और मूल अपराधों के तहत दंडनीय अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता को दर्शाने के लिए रिकॉर्ड पर बहुत मजबूत सामग्री मौजूद है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने रिश्त देने वालों और रिश्त लेने वालों के बीच ऐसा अवैध समझौता करवाया। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार जब वह बाहर आएगा, तो वह अभियोजन पक्ष द्वारा जांच किए जाने के लिए प्रस्तावित गवाहों को प्रभावित करेगा, क्योंकि अपनी राजनीतिक शक्ति के कारण राज्य में उसका काफी प्रभाव है।

11. उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अनुसूचित अपराधों में बड़ी संख्या में अभियुक्त और गवाह हैं, यदि एक सक्षम विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है, तो शायद अभियोजन पक्ष बड़ी संख्या में गवाहों को छोड़ने की स्थिति में हो सकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आपराधिक अपील संख्या 1677/2023 में इस न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न विविध आवेदन संख्या 1381/2024 में, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए पहले ही एक प्रार्थना की जा चुकी है।
12. हम हस्तक्षेपकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी सुन चुके हैं जिन्होंने प्रवर्तन निदेशालय का समर्थन किया।

प्रस्तुतियों पर विचार

13. हमने प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध दोष साबित करने वाली सामग्री दिखाने के लिए जिस मुख्य दस्तावेज़ पर भरोसा किया गया है, वह अनुसूचित अपराधों के संबंध में राज्य पुलिस द्वारा अपीलकर्ता के परिसर से जब्त किए गए पेन ड्राइव का एक हिस्सा है। अनुसूचित अपराधों से निपटने वाले संबंधित

न्यायालय ने जब्त किए गए पेन ड्राइव में मौजूद सॉफ्ट फ़ाइलों का मुद्रित संस्करण प्रदान किया है। इस स्तर पर, सॉफ्ट फ़ाइलों की प्रामाणिकता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अपीलकर्ता के बैंक खाते में ₹1.34 करोड़ की नकदी जमा होने को दर्शाने वाली प्रथम दृष्टया सामग्री भी है। इस स्तर पर, विधायक के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक और कृषि आय जमा करने के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क को विधायक के रूप में अपीलकर्ता की नकद आय और अपीलकर्ता की कृषि आय के अस्तित्व को दर्शाने के लिए किसी भी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस स्तर पर, यह मानना बहुत मुश्किल होगा कि पी.एम.एल.ए. की धारा 44(1)(ख) के तहत शिकायत में और उसमें भरोसा की गई सामग्री में अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है।

मामलों के निपटान में देरी का प्रभाव

14. अभी तक, अपीलकर्ता पी.एम.एल.ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में 15 महीने से अधिक समय से जेल में है। धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यूनतम सजा तीन साल की कैद है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुसूचित अपराध पी.एम.एल.ए. की अनुसूची के भाग क की कंडिका 2 के तहत हैं, तो सजा 10 साल तक बढ़ सकती है। अपीलकर्ता के मामले में, अधिकतम सजा 7 साल हो सकती है क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ अनुसूची II के भाग क की कंडिका 2 के तहत कोई अनुसूचित अपराध नहीं लगाया गया है।
15. हम पहले ही बता चुके हैं कि तीन अनुसूचित अपराध हैं। मुख्य मामले (सी.सी. संख्या 22 और 24 of 2021) में, लगभग 2000 आरोपी हैं और 550 अभियोजन पक्ष के गवाहों का हवाला दिया गया है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि तीनों अनुसूचित अपराधों में 2000 से अधिक आरोपी हैं, और जांच के लिए प्रस्तावित गवाहों की संख्या 600 से अधिक है।

16. यह पीठ अनुसूचित अपराधों की जांच के हस्तांतरण, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदि जैसे विभिन्न राहतों की मांग करने वाले एम.ए. संख्या 1381 of 2024 पर भी विचार कर रही है। उक्त आवेदन में पारित आदेशों से यह पता चलेगा कि अपीलकर्ता सहित सभी लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी अब दी जा चुकी है। अनुसूचित अपराधों में आरोप तय नहीं किए गए हैं।
17. इस प्रकार, आरोप तय करने या दोषमुक्ति के मुद्दे पर, बड़ी संख्या में आरोपियों को सुना जाना होगा। अनुसूचित अपराधों का विचारण एक वारंट मामला होगा। इसलिए, भले ही अनुसूचित अपराधों के विचारण को तेजी से निपटाया जाए, फिर भी आरोप तय करने की प्रक्रिया में कुछ महीने लग सकते हैं क्योंकि 2000 से अधिक आरोपी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई अधिवक्ताओं को सुना जाना होगा। आरोप पर आदेशों से उत्पन्न होने वाली आगे की कार्यवाही निश्चित रूप से होगी। उसके बाद, 600 से अधिक गवाहों की जांच की जानी होगी। अनुसूचित अपराधों में दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है। यहां तक कि अगर कुछ गवाहों को छोड़ भी दिया जाता है, तो भी कुछ सौ गवाहों की जांच करनी होगी। सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज करने होंगे। इसलिए, यहां तक कि आदर्श परिस्थितियों में भी, अनुसूचित अपराधों के विचारण की तीन से चार साल के उचित समय के भीतर भी समाप्त होने की संभावना पूरी तरह से खारिज हो जाती है।
18. पी.एम.एल.ए. के तहत अपराध में, आरोप तय नहीं किया गया है। पी.एम.एल.ए. की धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के मद्देनजर, पी.एम.एल.ए. की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध के अभियोजन के लिए सत्र विचारण की प्रक्रिया का पालन करना होगा। धारा 44 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के मद्देनजर, अनुसूचित अपराधों के विचारण को पी.एम.एल.ए. के

तहत विशेष न्यायालय में स्थानांतरित करना संभव है।

19. धन शोधन के अपराध को पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"3. धन शोधन का अपराध — जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से [अपराध की आय जिसमें उसका छिपाना, कब्ज़ा, अर्जन या उपयोग शामिल है और उसे दोषमुक्त संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना या दावा करना] से संबंधित किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्षकार है या वास्तव में शामिल है, वह धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

[स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि,—

(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से संबंधित निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में शामिल होने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्षकार है या वास्तव में शामिल है, अर्थात:—

(क) छिपाना; या

(ख) कब्ज़ा; या

(ग) अर्जन; या

(घ) उपयोग; या

(ड) दोषमुक्त संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना; या

(च) दोषमुक्त संपत्ति के रूप में दावा करना, किसी भी तरीके से;

(ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कोई व्यक्ति किसी भी तरह से इसे छिपाकर या कब्जे में रखकर या अर्जित करके या उपयोग करके या दोषमुक्त संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करके या दोषमुक्त संपत्ति के रूप में दावा करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का आनंद ले रहा है।]"

20. धारा 3 के तहत अपराध के लिए अपराध की आय का अस्तित्व एक पूर्व शर्त है। अपराध की आय को पी.एम.एल.ए. की धारा 2(प) में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है:

"2 (प) "अपराध की आय" का अर्थ है किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई कोई भी संपत्ति या ऐसी किसी भी संपत्ति का मूल्य या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ले जाई गई है या रखी गई है, तो देश के भीतर [या विदेश में] रखी गई मूल्य के बराबर की संपत्ति;

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या अर्जित संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी ऐसी संपत्ति भी शामिल है जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की जा सकती है;"

21. इसलिए, अपराध की आय के अस्तित्व का आरोप लगाने के लिए अनुसूचित अपराध का

अस्तित्व एक आवश्यक शर्त है। किसी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या अर्जित की गई संपत्ति ही अपराध की आय का गठन करती है। पी.एम.एल.ए. की धारा 3 के तहत अपराध के विचारण के समय अपराध की आय का अस्तित्व केवल तभी सिद्ध किया जा सकता है जब अनुसूचित अपराध के अभियोजन में अनुसूचित अपराध स्थापित हो जाए। इसलिए, भले ही पी.एम.एल.ए. के तहत मामले का विचारण आगे बढ़े, इसे तब तक अंतिम रूप से तय नहीं किया जा सकता जब तक कि अनुसूचित अपराधों का विचारण समाप्त नहीं हो जाता। मामले के तथ्यों में, निकट भविष्य में अनुसूचित अपराधों के विचारण के शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, हम दोनों विचारण के कुछ वर्षों के भीतर समाप्त होने की कोई संभावना नहीं देखते हैं।

22. के.ए. नजीब² के मामले में, इस न्यायालय ने कंडिका 17 में इस प्रकार कहा :

“17. इसलिए हमारे लिए यह स्पष्ट है कि यू.ए.पी.ए. की धारा 43-घ (5) जैसे सांविधिक प्रतिबंधों की उपस्थिति अपने आप में संवैधानिक न्यायालयों की संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने की क्षमता को समाप्त नहीं करती है। वास्तव में, एक कानून के तहत प्रतिबंधों और संवैधानिक क्षेत्राधिकार के तहत प्रयोग करने योग्य शक्तियों दोनों को अच्छी तरह से समन्वित किया जा सकता है। जबकि कार्यवाही के शुरू होने पर, न्यायालयों से जमानत देने के खिलाफ विधायी नीति की सराहना करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन ऐसे प्रावधानों की कठोरता कम हो जाएगी जहां उचित समय के भीतर विचारण पूरा होने की संभावना नहीं है और पहले से ही जेल में बिताई गई अवधि निर्धारित सजा के एक पर्याप्त हिस्से से

अधिक हो गई है। ऐसा दृष्टिकोण यू.ए.पी.ए. की धारा 43-घ (5) जैसे प्रावधानों को जमानत से इनकार करने के लिए एकमात्र मापदंड के रूप में उपयोग किए जाने या तेजी से विचारण के संवैधानिक अधिकार का थोक उल्लंघन किए जाने की संभावना से बचाएगा।”

(जोर दिया गया)

23. मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय¹ के मामले में, इस न्यायालय ने कंडिका 49 से 57 में इस प्रकार कहा:

“49. हम पाते हैं कि, लगभग 17 महीनों तक जेल में रहने और विचारण शुरू भी न होने के कारण, अपीलकर्ता को तेजी से विचारण के अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया है।

50. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, शीघ्र सुनवाई का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र अधिकार हैं। इन अधिकारों से इनकार करने पर, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी इस कारक को उचित महत्व देना चाहिए था।

51. हाल ही में, इस न्यायालय को जावेद गुलाम नबी शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य⁶ के मामले में जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करने का अवसर मिला था, जिसमें आरोपी पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया गया था। इस न्यायालय ने गुडीकांती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय⁷, श्री गुरबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य⁸, हुसैनारा खातून (I) बनाम गृह

सचिव, बिहार राज्य⁹, [भारत संघ बनाम के.ए. नजीब](#)¹⁰ और सतिंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो¹¹ के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय से लेकर पूरे कानून का सर्वेक्षण किया। न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

“19. यदि राज्य या कोई अभियोजन एजेंसी, जिसमें संबंधित अदालत भी शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित एक अभियुक्त के तेजी से विचारण के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या उसकी रक्षा करने का कोई साधन नहीं रखती है, तो राज्य या कोई अन्य अभियोजन एजेंसी इस आधार पर जमानत की याचिका का विरोध नहीं करना चाहिए कि किया गया अपराध गंभीर है। संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति की परवाह किए बिना लागू होता है।”

52. न्यायालय ने [गुडीकांती नरसिम्हुलु](#) (उपरोक्त) में की गई टिप्पणियों को भी दोहराया, जो इस प्रकार हैं:

“10. उपरोक्त संदर्भ में, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालयों को याद दिला सकते हैं कि [गुडीकांती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक](#), उच्च न्यायालय में इस न्यायालय ने क्या कहा था, जो (1978) 1 एस.सी.सी. 240 में दर्ज किया गया है। हम उद्धृत करते हैं:

“जो अक्सर भूला दिया जाता है, और इसलिए याद दिलाने की आवश्यकता है, वह है विचारण या अपील के निपटारे तक किसी

व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का उद्देश्य। लॉर्ड रसेल, सी.जे., ने कहा [आर. बनाम रोज, (1898) 18 कॉक्स]:

"मैं देखता हूं कि इस मामले में कैदी के लिए जमानत से इनकार कर दिया गया था। देश की दंडाधिकारियों पर इस बात को जोर देकर नहीं कहा जा सकता कि जमानत को सज़ा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, बल्कि यह कि जमानत के संबंध में आवश्यकताएं केवल विचारण में कैदी की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए हैं।"

53. न्यायालय ने आगे कहा कि, समय के साथ, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही सुस्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि जमानत को सज़ा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। अपने अनुभव से, हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित खेलने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत कि जमानत नियम है और इनकार अपवाद है, कभी-कभी उल्लंघन में पालन किया जाता है। यहां तक कि सीधे खुले और स्पष्ट मामलों में भी जमानत न दिए जाने के कारण, यह न्यायालय बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं से भर गया है, जिससे लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। यह उच्च समय है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालयों को इस सिद्धांत को पहचानना चाहिए कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।

54. वर्तमान मामले में, प्रवर्तन निदेशालय मामले के साथ-साथ सी.बी.आई. मामले में भी 493 गवाहों को नामित किया गया है। इस मामले में हजारों

पृष्ठों के दस्तावेज़ और एक लाख से अधिक पृष्ठों के डिजीटल दस्तावेज़ शामिल हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में विचारण समाप्त होने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। हमारे विचार में, त्वरित विचारण पूर्ण होने की आशा में अपीलकर्ता को असीमित अवधि के लिए सलाखों के पीछे रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करेगा। जैसा कि समय-समय पर देखा गया है, किसी अपराध का दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक कारावास को बिना विचारण के सज़ा बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

55. गुडीकांती नरसिम्हलु (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा गया है, विचारण लंबित रहने या अपील के निपटारे तक किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का उद्देश्य विचारण में कैदी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।

56. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता की समाज में गहरी जड़ें हैं। उसके देश से भागने और विचारण का सामना करने के लिए उपलब्ध न होने की कोई संभावना नहीं है। किसी भी मामले में, राज्य की चिंता को दूर करने के लिए शर्तें लगाई जा सकती हैं।

57. जहां तक सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना के संबंध में विद्वान ए.एस.जी. द्वारा दी गई आशंका का सवाल है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मामला काफी हद तक दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करता है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पहले ही जब्त कर लिया गया है। इस प्रकार, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। जहां तक गवाहों को प्रभावित करने की चिंता का सवाल है, उक्त चिंता को अपीलकर्ता पर कठोर शर्तें

लगाकर दूर किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

24. कुछ दंडनीय कानून हैं जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 437, 438 और 439 के प्रावधानों से अलग हटते हैं। इन कानूनों में जमानत देने के लिए एक उच्चतर सीमा प्रदान की गई है। उदाहरण के तौर पर, हम पी.एम.एल.ए. की धारा 45(1)(ii), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 43 घ (5) के परंतुक और स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, 'एन.डी.पी.एस. अधिनियम') की धारा 37 का उल्लेख कर सकते हैं। ऐसे कुछ कानूनों में जमानत से संबंधित प्रावधान दं.प्र.सं. की धारा 437 से 439 के प्रावधानों को अतिक्रमित करने के लिए एक गैर-बाधाकारी खंड के साथ शुरू होते हैं। विधायिका ने ऐसा इन अधिनियमों में दंड प्रावधानों के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए किया है। उदाहरण के लिए, पी.एम.एल.ए. में धारा 45(1)(ii) का प्रावधान है क्योंकि धन शोधन न केवल देश की वित्तीय प्रणाली के लिए बल्कि इसकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करता है।
25. ऐसे कानूनों में अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, इन कानूनों के तहत अपराधों के लिए विचारण के शीघ्र निपटान की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, ऐसे कानूनों में जमानत देने के लिए उच्चतर सीमा निर्धारित करने वाले प्रावधान शामिल हैं। जमानत देने के लिए निर्धारित उच्चतर सीमा को देखते हुए विचारण के शीघ्र निपटान की भी आवश्यकता है। इसलिए, मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता को इन कानूनों में पढ़ा जाना चाहिए। विचारण के निष्कर्ष में अत्यधिक देरी और जमानत देने के लिए उच्चतर सीमा एक साथ नहीं चल सकते। यह हमारे आपराधिक न्यायशास्त्र का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि "जमानत नियम है, और जेल अपवाद है।" जमानत देने से संबंधित ये कठोर प्रावधान, जैसे कि पी.एम.एल.ए. की धारा 45(1)(iii), एक ऐसा उपकरण नहीं बन सकते हैं जिसका उपयोग

अनावश्यक रूप से लंबे समय तक बिना विचारण के आरोपी को कैद करने के लिए किया जा सके।

26. के.ए. नजीब² के मामले में दिए गए निर्णय से शुरू होकर, इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला है, जो यह मानती है कि जमानत देने के लिए ऐसे कठोर प्रावधान भारत के संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने की संवैधानिक न्यायालयों की शक्ति को समाप्त नहीं करते हैं। हमने पहले ही उक्त निर्णय की कंडिका 17 का उल्लेख किया है, जो यह निर्धारित करता है कि ऐसे प्रावधानों की कठोरता कम हो जाएगी जहां उचित समय में विचारण पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और पहले से ही जेल में बिताई गई अवधि निर्धारित सजा के एक पर्याप्त हिस्से से अधिक हो गई है। इसका एक कारण यह है कि यदि, ऐसे प्रावधानों के कारण, एक विचाराधीन आरोपी का कारावास लंबे समय तक अनावश्यक रूप से जारी रहता है, तो प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने के दोष के अधीन हो सकते हैं।

27. पी.एम.एल.ए. जैसे कानूनों के तहत, न्यूनतम सजा तीन साल है, और अधिकतम सात साल है। न्यूनतम सजा अधिक होती है जब अनुसूचित अपराध एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत होता है। जब पी.एम.एल.ए. के तहत शिकायत का विचारण उचित सीमा से अधिक लंबा होने की संभावना होती है, तो संवैधानिक न्यायालयों को जमानत देने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर विचार करना होगा। कारण यह है कि धारा 45(1)(ii) राज्य को एक आरोपी को अनावश्यक लंबे समय तक हिरासत में रखने की शक्ति प्रदान नहीं करती है, खासकर तब जब उचित समय के भीतर विचारण समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। उचित समय क्या है यह उन प्रावधानों पर निर्भर करेगा जिनके तहत आरोपी का विचारण चलाया जा रहा है और अन्य कारकों पर। सबसे प्रासंगिक कारकों में से एक अपराध के लिए न्यूनतम और अधिकतम सजा की अवधि है। एक अन्य महत्वपूर्ण विचार उच्चतर सीमा या

कठोर शर्तें हैं जो एक कानून जमानत देने के लिए प्रदान करता है। विचारण पूरा करने के लिए प्रासंगिक कानून द्वारा प्रदान की गई बाहरी सीमा , यदि कोई हो, भी एक विचारणीय कारक है। के.ए. नजीब² के मामले में आयोजित असाधारण शक्तियों का प्रयोग केवल संवैधानिक न्यायालयों द्वारा ही किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों के पास विशाल अनुभव होता है। रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों के आधार पर, यदि न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उचित समय में विचारण समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है, तो वैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत के संविधान के भाग III के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने की शक्ति का प्रयोग संवैधानिक न्यायालयों द्वारा हमेशा किया जा सकता है। संवैधानिक न्यायालय अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग हमेशा कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो। पी.एम.एल.ए. के तहत मामलों से निपटते समय संवैधानिक न्यायालयों को यह ध्यान रखना होगा कि, कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर, अधिकतम सजा सात साल की हो सकती है। संवैधानिक न्यायालय धारा 45(1)(ii) जैसे प्रावधानों को विचारण के हाथों में लंबी अवधि तक कारावास जारी रखने का साधन नहीं बनने दे सकते हैं, जब अनुसूचित अपराध और पी.एम.एल.ए. अपराध का विचारण उचित समय के भीतर समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। यदि संवैधानिक न्यायालय ऐसे मामलों में अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत विचाराधीनों के अधिकार पराजित हो जाएंगे। किसी दिए गए मामले में, यदि अनुसूचित अपराधों के विचारण के निपटारे में या पी.एम.एल.ए. के तहत विचारण के निपटारे में अनुचित देरी को काफी हद तक आरोपी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो संवैधानिक न्यायालय हमेशा विशेषाधिकार रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकते हैं। एक अपवाद उस मामले में भी होगा जहां, आरोपी के पूर्ववृत्त को देखते हुए, जमानत पर रिहा होने पर आरोपी के समाज के लिए वास्तविक खतरा बनने की पूरी संभावना है। विशेषाधिकार रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार हमेशा विवेकाधीन होता है।

28. किसी दिन, न्यायालयों, विशेष रूप से संवैधानिक न्यायालयों को, हमारी न्याय वितरण प्रणाली में उत्पन्न होने वाली एक अजीबोगरीब स्थिति पर निर्णय लेना होगा। ऐसे मामले हैं जहां एक विचाराधीन के रूप में बहुत लंबे कारावास के बाद आपराधिक न्यायालयों द्वारा आरोपी को पूरी तरह से बरी कर दिया जाता है। जब हम पूरी तरह से बरी होने की बात करते हैं, तो हम उन मामलों को बाहर कर रहे हैं जहां गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं या सद्भावना में दोषपूर्ण जांच हुई है। पूरी तरह से बरी होने के ऐसे मामलों में, आरोपी के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष खो जाते हैं। किसी दिए गए मामले में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे मुआवजे के दावे को जन्म मिल सकता है।
29. जैसा कि पहले कहा गया है, अपीलकर्ता पी.एम.एल.ए. के तहत दंडनीय अपराध के लिए 15 महीने या उससे अधिक समय से कैद है। मामले के तथ्यों में, अनुसूचित अपराधों का विचारण और परिणामस्वरूप, पी.एम.एल.ए. अपराध का विचारण तीन से चार साल या उससे भी अधिक समय में पूरा होने की संभावना नहीं है। यदि अपीलकर्ता की हिरासत जारी रहती है, तो यह तेजी से विचारण के भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।
30. विद्वान एस.जी. द्वारा जिन फैसलों पर भरोसा किया गया था, वे संकेत देते हैं कि राज्य में अपीलकर्ता की प्रभावशाली स्थिति के परिणामस्वरूप रिश्त देने वालों और रिश्त लेने वालों के बीच तथाकथित समझौता हो सकता है। अपीलकर्ता द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए, कठोर शर्तें लगाई जानी चाहिए।
31. इसलिए, अपील स्वीकार की जाती है, और अपीलकर्ता को प्रधान सत्र न्यायाधीश, चेन्नई के समक्ष लंबित 2023 की सी.सी. संख्या 9 के अंतिम निपटारे तक निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:

- क. अपीलकर्ता ₹25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये मात्र) की राशि के जमानत बांड दो जमानतदारों के साथ उसी राशि में प्रस्तुत करेगा;
- ख. अपीलकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों और तीनों अनुसूचित अपराधों के पीड़ितों से संपर्क करने या संवाद करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित के साथ-साथ पी.एम.एल.ए. के तहत अपराधों में किसी भी अभियोजन गवाह या पीड़ित से संपर्क करने का प्रयास भी किया, तो यह अपीलकर्ता को दी गई जमानत को रद्द करने का आधार होगा;
- ग. अपीलकर्ता प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेन्नई में उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा। वह प्रत्येक कैलेंडर माह के पहले शनिवार को तीनों अनुसूचित अपराधों के जांच अधिकारियों के समक्ष भी उपस्थित होगा;
- घ. अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने से पहले, वह चेन्नई में पी.एम.एल.ए. के तहत विशेष न्यायालय में अपना पासपोर्ट आत्मसमर्पण करेगा;
- ङ. अपीलकर्ता अनुसूचित अपराधों के साथ-साथ विशेष न्यायालय से निपटने वाले न्यायालयों के समक्ष नियमित रूप से और समय पर उपस्थित रहेगा और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों के साथ सहयोग करेगा; और
- च. यदि अपीलकर्ता गैर-मौजूद या तुच्छ आधारों पर स्थगन चाहता है या उपरोक्त मामलों के शीघ्र निपटान में बाधाएं पैदा करता है, तो उसे दी गई जमानत रद्द किए जाने योग्य होगी।

32. अपील को उपरोक्त शर्तों पर स्वीकार किया जाता है।

मामले का परिणाम : अपील स्वीकार की गई

हेडनोट्स तैयार किया गया : निधि जैन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।